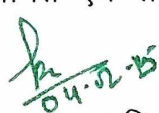


न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
आदेश पत्रक

जिला - गुमला
 केस का प्रकार - नीलाम पत्र

वाद सं०- 06/2023-24

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला बनाम मो० रिजवान अंसारी..... विपक्षी अधियाची पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें मो० रिजवान अंसारी, पिता मो० मुलजार अंसारी, ग्राम- तिगरा, पोस्ट- तिगरा, थाना- जारी, जिला- गुमला के विरुद्ध तालाब बन्दोबस्ती से संबंधित बकाया भुगतान का आरोप लगाते हुए राशि 24000.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था। उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक- 7098(ii)/गो० दिनांक- 14.08.2023 के आलोक में नीलाम पत्र वादों में 50000.00 रुपये से कम राशि दर्ज वाले अभिलेखों के निस्तारण के लिए अंचल अधिकारी को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। अतः उक्त के आलोक में नीलाम पत्र वाद सं०- 06/2023-24 को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का, जारी (गुमला) को भेजी जा रही है। लेखापित एवं सशोधित  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।  नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।	